



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58718

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10109 वर्ष 2026

जाफर अली

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: ब्यास कुमार प्रसाद, मोहम्मद मुस्तफा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), सिद्धार्थ नगर द्वारा विशेष आपराधिक मामला संख्या 1216 वर्ष 2021 (राज्य बनाम जाफर अली), जो मुकदमा अपराध संख्या 157 वर्ष 2021, धारा 354, 504 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8, थाना त्रिलोकपुर, जिला सिद्धार्थ नगर से उत्पन्न हुआ है, में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 को चुनौती देने हुए दायर किया गया है, जिसके द्वारा आवेदक के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीडब्लू-1/सूचनादाता और पीडब्लू-2/पीड़िता से कुछ प्रश्न नहीं पूछे जा सके थे, इसलिए 31.05.2025 को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दिया गया था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से इसे गलत और अवैध रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों से विस्तार से जिरह की जा चुकी है और इतने लंबे अंतराल के बाद उक्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिनांक 31.05.2025 के आवेदन में यह भी उल्लेख नहीं किया गया था कि क्या पूछना शेष रह गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि न्याय के हित में, वर्तमान आवेदन को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाए और आवेदक को उपरोक्त अभियोजन गवाहों से जिरह करने का अवसर प्रदान किया जाए।
4. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना का कड़ा विरोध किया और कहा कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों की परीक्षा की जा चुकी है। पीडब्लू-1/सूचनादाता और पीडब्लू-2/पीड़िता से विस्तार से जिरह की गई थी। उपरोक्त गवाहों की परीक्षा के बाद, पीड़िता की माँ पीडब्लू-3 की परीक्षा भी 29.03.2025 को की गई थी और वर्तमान आवेदन विचारण न्यायालय के सुचारु कामकाज में देरी करने के उद्देश्य से दिया गया है। पीड़िता की परीक्षा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

पहले ही हो चुकी है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(5) के अनुसार, उससे विचारण न्यायालय में बार-बार बुलाए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 311/बीएनएसएस की धारा 348 के तहत दिया गया आवेदन दिनांक 31.05.2025 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से सही ढंग से खारिज किया गया है और आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने माधव चंद्र प्रधान एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य, एमएनयू/एससी/1494/2024 में एक हालिया निर्णय में, इन्हीं परिस्थितियों के तहत, अभियोजन गवाहों को वापस बुलाने के लिए आवेदक-अभियुक्त द्वारा बीएनएसएस की धारा 348 के तहत दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया है और आगे यह माना है कि एक बाल गवाह, जिसकी परीक्षा और जिरह पहले ही विस्तार से हो चुकी है, उसे न्यायालय में पुनः गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

7. यह न्यायालय पहले ही नीलम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 49947 वर्ष 2025, निर्णय दिनांक 12.01.2026 में इसी तरह के मुद्दे पर विचार कर चुका है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ यहाँ पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं:-

"9. सीआरपीसी की धारा 311 (तदनुरूपी बीएनएसएस की धारा 348) के तहत गवाहों को वापस बुलाने से संबंधित सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2002) 7 एससीसी 334; हनुमान प्रसाद (उपरोक्त), नताशा सिंह बनाम सी.बी.आई., (2013) 5 एससीसी 741; राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, एआईआर 2013 एससी 3081; राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव, (2016) 2 एससीसी 402; हरियाणा राज्य बनाम राम मेहर एवं अन्य, (2016) 8 एससीसी 762; स्वपन कुमार चटर्जी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2019) 14 एससीसी 328; वर्षा गर्ग बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 986 और इस न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन संख्या 274 वर्ष 2022 (राम नायक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) के मामलों में तय किए गए हैं।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सीआरपीसी की धारा 311 या बीएनएसएस की धारा 348, जैसी भी स्थिति हो, के तहत शक्ति का प्रयोग सावधानी, सतर्कता और दूरदर्शिता के साथ तथा केवल ठोस और वैध कारणों के लिए ही किया जाना चाहिए। पहले से परीक्षित गवाह को वापस बुलाना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और इस संबंध में न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। संपूर्ण प्रावधान का उद्देश्य न केवल अभियुक्त और अभियोजन के दृष्टिकोण से बल्कि एक व्यवस्थित समाज के दृष्टिकोण से भी न्याय करना है।

11. न्यायालय इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है कि अंततः विचारण मूल रूप से कैदियों/अभियुक्तों के लिए है और न्यायालय को उन्हें यथासंभव निष्पक्ष तरीके से अवसर प्रदान करना चाहिए। साथ ही, न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि निष्पक्ष विचारण में अभियुक्त, पीड़िता और समाज का हित शामिल होता है और इसलिए, संबंधित व्यक्तियों को निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करना एक संवैधानिक लक्ष्य के साथ-साथ एक मानवाधिकार

भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गवाहों को वापस बुलाने का आवेदन न्यायिक रूप से स्थापित और स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।"

12. उपरोक्त टिप्पणियों को इस रूप में नहीं पढ़ा जा सकता कि वे नियमित रूप से इस आधार पर गवाह को वापस बुलाने की अनुमति देने का कोई अनम्य नियम निर्धारित करती हैं कि पहले सही तथ्यों को अभिलेख पर नहीं लाया जा सका था। जबकि न्याय को आगे बढ़ाना कानून का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है, यह नहीं समझा जा सकता कि केवल मांगने पर या महज सुविधा से संबंधित कारणों से गवाह को वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है।

13. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत अधिकार क्षेत्र असाधारण है और इसका उपयोग केवल ऐसे मामलों में किया जा सकता है जहाँ घोर अन्याय हुआ हो या कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ हो। इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति की मदद के लिए नहीं किया जा सकता जो निष्पक्ष विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसी शक्ति का प्रयोग उस गवाह को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता जिसका परीक्षण पहले ही हो चुका है या विचारण में देरी करने के लिए नहीं किया जा सकता।

14. मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2002) 7 एससीटी 334 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:-

"9. हम यह पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई गवाह न्यायालय में उपस्थित है, तो उसी दिन उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह जानना चाहिए कि अधिकांश गवाह अपने स्वयं के व्यवसाय को छोड़कर भारी लागत पर ही न्यायालय में उपस्थित हो पाते हैं। निश्चित रूप से उन्हें कष्ट और आय की हानि होती है। भते की वह अल्प राशि जो न्यायालय द्वारा गवाह को भुगतान की जा सकती है, आम तौर पर उसके द्वारा सहन की गई वित्तीय हानि के लिए एक मामूली सांत्वना होती है। विचारण न्यायालयों में यह एक दुखद स्थिति है कि समन या अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से बुलाए गए गवाह सुबह से शाम तक दरवाजे पर खड़े रहते हैं, केवल दिन के अंत में यह सुनने के लिए कि मामला अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस आदिम प्रथा में सुधार किया जाना चाहिए, बशर्ते संबंधित पीठासीन अधिकारी का अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण हो। अपने न्यायिक अधिकारों के आयाम के कारण गवाह के रूप में बुलाए गए अन्य व्यक्ति किस प्रकार परेशान होते हैं, यह देखकर कोई दुखद आनंद लेना, उदारतापूर्वक और वह भी आकस्मिक तरीके से स्थगन देने के लिए प्रेरक कारक नहीं हो सकता।"

15. राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव, (2016) 2 एससीसी 402 के मामले में पारित निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ यहाँ उद्धृत किए गए हैं:-

"10. इस बात से शायद ही इनकार किया जा सकता है कि निष्पक्ष विचारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी का एक हिस्सा है। इसकी अन्तर्वस्तु मुख्य रूप से विचारण के संचालन के वैधानिक प्रावधानों से निर्धारित होनी चाहिए, हालांकि कुछ मामलों में जहाँ वैधानिक प्रावधान मौन हो सकते हैं, न्यायालय ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कानून का एक सिद्धांत विकसित कर सकता है जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह भी सच है कि वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए निष्पक्ष विचारण के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा।

11. यह और भी अच्छी तरह से स्थापित है कि विचारण की निष्पक्षता को न केवल अभियुक्त के दृष्टिकोण से, बल्कि पीड़िता और समाज के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। निष्पक्ष विचारण के नाम पर व्यवस्था को बंधक नहीं बनाया जा सकता। अभियुक्त अपने पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व पाने, सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करने, अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने और अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार है। गवाह को वापस बुलाने के प्रावधान का उद्देश्य किसी भी स्तर पर विचारण के संचालन में किसी भी अन्याय को रोकने के लिए न्यायालय के पास शक्ति सुरक्षित रखना है। अन्याय को रोकने के लिए उपलब्ध शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय, वैध कारणों से महसूस करे कि किसी पक्ष के साथ अन्याय हुआ है। ऐसा निष्कर्ष, कारणों के साथ, शक्ति का प्रयोग करने से पहले न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दर्ज की जानी चाहिए। ऐसी स्थितियों को सटीक रूप से निर्धारित करना संभव नहीं है जब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता में इस शक्ति को अपरिभाषित छोड़ दिया है। इस प्रकार, शक्ति के दायरे पर मामले दर मामले विचार करना होगा। इस उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन उन कई निर्णयों में उपलब्ध है, जिन पर पक्षों ने अवलम्ब लिया है। इस मामले के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों को निर्धारित करने हेतु, केवल कुछ ही निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

14. हॉफमैन एंड्रियास के मामले में [(2000) 10 एससीसी 430]: 2001 एससीसी (आपराधिक) 1488], जो अधिवक्ता वाद चला रहे थे वे बीमार थे और विचारण की प्रगति के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नए अधिवक्ता ने इस आधार पर गवाहों को वापस बुलाने की मांग की कि अधिवक्ता की बीमारी के कारण गवाहों से जिरह नहीं की जा सकी। इस प्रार्थना को विशिष्ट परिस्थितियों में इस टिप्पणी के साथ स्वीकार किया गया कि सामान्यतः एक बंद विचारण को फिर से नहीं खोला जा सकता, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों में अधिवक्ता की बीमारी और मृत्यु को गवाहों को वापस बुलाने का एक वैध आधार माना गया। यह अवधारित किया गया: (एससीसी पृष्ठ 432, पैरा 6)

"6. सामान्यतः, इस बाद के चरण में, हम एक बार बंद हो चुके विचारण को फिर से खोलने के लिए अनिच्छुक होंगे। लेकिन हम इस मामले में विचारण के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना यानी बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बीच में ही मृत्यु हो जाने के कारण इस पर विचार करने के लिए प्रेरित हुए हैं। जिस अधिवक्ता को अपीलार्थी के बचाव के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने गवाहों से जिरह की थी लेकिन अपनी मृत्यु के कारण वे विचारण पूरा नहीं कर सके। जब नए अधिवक्ता ने मामला संभाला, तो वे निश्चित रूप से इस नुकसान में होंगे कि वे पूर्व अधिवक्ता से बचाव की रणनीति के उस योजना का पता नहीं लगा सके जो मृत अधिवक्ता के मन में था या उन्होंने कुछ पहलुओं पर आगे प्रश्न क्यों नहीं पूछे। ऐसी परिस्थितियों में, यदि नए अधिवक्ता ने महत्वपूर्ण गवाहों का आगे परीक्षण कराना उचित समझा, तो न्यायालय न्याय के हित में एक उदार दृष्टिकोण अपना सकता है, विशेष रूप से जब न्यायालय के पास संहिता की धारा 311 में निहित असीमित शक्तियाँ हों। आखिर विचारण मूल रूप से कैदियों के लिए है और न्यायालयों को उन्हें यथासंभव निष्पक्ष तरीके से अवसर प्रदान करना चाहिए।"

15. उपरोक्त टिप्पणियों को इस रूप में नहीं पढ़ा जा सकता कि वे नियमित रूप से इस आधार पर गवाह को वापस बुलाने की अनुमति देने का कोई अनम्य नियम निर्धारित करती हैं कि अधिवक्ता की वजह से जिरह उचित नहीं थी। जबकि न्याय को आगे बढ़ाना कानून का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है, यह नहीं समझा जा सकता कि केवल मांगने पर या महज सुविधा से संबंधित कारणों से गवाह को वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्यतः यह माना जाना चाहिए कि मामला चलाने वाला अधिवक्ता सक्षम है, विशेष रूप से तब जब अधिवक्ता एक मुवक्किल की पसंद से नियुक्त किया जाता है। यदि इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाए, तो यह सिद्धांत कि हर अधिवक्ता के परिवर्तन पर पुनः विचारण होना चाहिए, विचारणों के संचालन और आपराधिक न्याय प्रणाली पर गंभीर परिणाम डाल सकता है। गवाहों से बार-बार अदालत में पेश होने की कठिनाई का सामना करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, विशेष रूप से वर्तमान जैसे संवेदनशील मामलों में। यदि पीड़ितों को, विशेष रूप से जघन्य अपराधों के पीड़ितों को, जिरह का सामना करने के लिए बार-बार अदालत में पेश होना पड़ता है, तो इससे उनके लिए अत्यधिक कठिनाई हो सकती है।

16. यदि विचारण चलाने वाला अधिवक्ता किसी विकलांगता के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है, तो न्याय का हित प्रभावित हो सकता है। समाज का हित सर्वोपरि है और अधिवक्ता की अयोग्यता के कारण बार-बार विचारण आयोजित करने के बजाय, सुधार आवश्यक प्रतीत हो सकता है ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। शायद अधिवक्ता अधिनियम और प्रासंगिक विनियमों की समीक्षा करने का समय आ गया है ताकि वृद्धावस्था या अन्य मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण आपराधिक विचारण चलाने के लिए एक अधिवक्ता की निरंतर फिटनेस की जांच की जा सके, ताकि इस शिकायत से बचा जा सके कि जिस अधिवक्ता ने विचारण चलाया वह अयोग्य या अक्षम था। यह एक ऐसा पहलू है जिसे विधि आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

27. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करना कठिन है। निःसंदेह निष्पक्ष विचारण ही उद्देश्य है और ऐसी निष्पक्षता सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है। धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति की व्यापकता संदेह से परे है। उच्च न्यायालय द्वारा एक भी विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है कि वर्तमान मामले में 13 गवाहों को वापस बुलाना कैसे आवश्यक था, जैसा कि आक्षेपित आदेश में निर्देशित किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश के तर्कों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर उन दो मात्र कारणों को खारिज कर दिया जो उसके समक्ष रखे गए थे कि विचारण जल्दबाजी में किया गया था और अधिवक्ता सक्षम नहीं थे। इन आधारों को खारिज करने के बावजूद, गवाहों को होने वाली कठिनाई, विचारण में अनुचित देरी पर विचार किए बिना, और बिना किसी अन्य ठोस कारण के, केवल इस टिप्पणी पर गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देना कि देरी से केवल अभियुक्त को नुकसान होगा क्योंकि वह हिरासत में था, परिस्थितियों में, शायद ही वैध या न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने वाला माना जा सकता है। यह न केवल देरी का मामला है बल्कि गवाहों को वापस बुलाए जाने पर उनके उत्पीड़न का भी मामला है, जिसे इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि अभियुक्त हिरासत में था और कार्यवाही लंबी खींचने से केवल उसे ही नुकसान होगा। निश्चित रूप से, यदि न्यायोचित

निर्णय के लिए आवश्यक हो तो गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसे विचारों पर नहीं जैसा कि वर्तमान मामले में अपनाया गया है। मात्र यह टिप्पणी कि निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए वापस बुलाना आवश्यक था, पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह दिखाने के लिए प्रत्यक्ष कारण न हों कि वापस बुलाए बिना निष्पक्ष विचारण कैसे प्रभावित हुआ। गवाहों को वापस बुलाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है और न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। जबकि पक्षकार को अपनी सद्भावी त्रुटि को सुधारने की अनुमति भी दी जा सकती है और वह आगे के अवसर का हकदार हो सकता है, भले ही ऐसा अवसर विपक्षी पक्ष की ओर से किसी गलती के बिना मांगा गया हो, न्याय को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों को वापस बुलाने की याचिका सद्भावी होनी चाहिए और गवाहों को होने वाली अकारण कठिनाई और विचारण में अकारण देरी सहित अन्य प्रासंगिक विचारों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित होनी चाहिए। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें पहले से परीक्षित गवाहों को वापस बुलाने का कोई औचित्य सिद्ध करने वाला आधार नहीं मिलता है।

28. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि संविधान के अनुच्छेद 227 और धारा 482 सीआरपीसी के तहत न्यायिक अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई प्रत्यक्ष त्रुटि या घोर अन्याय हो [जसबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 8 एससीसी 294, पैरा 10 से 14]। इस आशय के निष्कर्ष को कारणों द्वारा समर्थित होना चाहिए। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा केवल यह कहकर अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, कि अभियुक्त को निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक था। इस टिप्पणी के समर्थन में कोई कारण दर्ज नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत, अभियुक्त के रुख को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है। इस प्रकार, निष्कर्ष आक्षेपित आदेश के कारणों के साथ असंगत प्रतीत होता है।

29. अब हम वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अस्वीकार करने के अपने कारणों का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं:

- (i) विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने माना कि अभियुक्त ने अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त किया था। वह अन्य मामलों में भी विचारण का सामना कर रहा था। पूर्व अधिवक्ताओं को उचित अवसर दिया गया था और उन्होंने विधिवत जिरह की थी। वे किसी अक्षमता के अधीन नहीं थे;
- (ii) ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता था कि अभियुक्त द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अक्षम थे, विशेष रूप से ऐसे अधिवक्ता की अनुपस्थिति में;
- (iii) वर्तमान मामले में जैसा कथित जघन्य अपराध है, उसमें त्वरित विचारण न्याय के हित में है;
- (iv) विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी गवाहों को वापस बुलाने के कारणों को खारिज कर दिया था;

(v) न्यायालय को न केवल अभियुक्त को निष्पक्ष अवसर देने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपराध के पीड़ित को अनुचित रूप से परेशान न किया जाए;

(vi) मात्र यह तथ्य कि अभियुक्त हिरासत में था और उसे देरी से नुकसान होगा, गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने का कोई विचार नहीं हो सकता, विशेष रूप से विचारण के अंतिम चरण में;

(vii) मात्र अधिवक्ता का बदलना गवाहों को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता;

(viii) यह मानने का कोई आधार नहीं है कि जब तक गवाहों को वापस नहीं बुलाया जाता तब तक अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह होगा;

(ix) उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को खारिज नहीं किया है और न ही गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए कोई औचित्य दिया है, सिवाय इसके कि सामान्य टिप्पणियां की गई हैं कि निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए वापस बुलाना आवश्यक था। यह टिप्पणी गवाहों को वापस बुलाने के आधारों, यानी पूर्व अधिवक्ता की अक्षमता के कारण निष्पक्ष अवसर से इनकार या त्वरित कार्यवाही के कारण, से निपटने में उच्च न्यायालय के स्वयं के तर्कों के विपरीत है;

(x) न तो वापस बुलाने की प्रार्थना को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई प्रत्यक्ष त्रुटि है और न ही यदि ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है तो कोई स्पष्ट अन्याय होगा।"

16. स्वपन कुमार चटर्जी (उपरोक्त) के मामले में, सावधानी बरतने का संकेत दिया गया था और इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 और 12 से निकाला जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:-

"11. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। शक्ति का प्रयोग केवल ठोस और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास इस धारा के तहत न्याय के हित में आवश्यक होने पर पुनः परीक्षा या आगे की परीक्षा के लिए गवाहों को वापस बुलाने की भी व्यापक शक्ति है, लेकिन इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद किया जाना चाहिए। इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग तब नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय का यह विचार है कि आवेदन कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में दायर किया गया है।

12. जहाँ अभियोजन का साक्ष्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है और गवाह की पहले परीक्षा न होने के कारण संतोषजनक नहीं हैं, वहाँ अत्यधिक विलंबित चरण में गवाह को बुलाना अभियुक्त के प्रति गहरा पूर्वाग्रह उत्पन्न करेगा और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, न्यायालय को इस प्रावधान के तहत गवाह को वापस बुलाने के लिए क्रमिक आवेदन दाखिल करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।"

17. बीएनएसएस की धारा 348 के तहत महत्वपूर्ण गवाहों को बुलाने की शक्ति, जो अध्याय XXVI, जांच और विचारण के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत आती है, के बारे में यह माना गया है

कि यह गवाहों को बुलाने के लिए न्यायालयों को बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करती है और तदनुसार प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति जितनी व्यापक होगी, न्यायिक मस्तिष्क के अनुप्रयोग की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी।

18. प्रदत्त शक्ति को विवेकाधीन माना गया है और यह न्यायालय को सभी प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने और मामले में न्यायोचित निर्णय पर पहुँचने के लिए उचित प्रमाण प्राप्त करने के बाद सत्य निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए है। बीएनएसएस की धारा 348 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठोस और वैध कारणों के लिए किया जाना है और इसका प्रयोग अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना है। इस संबंध में निर्णायक कारक यह होगा कि क्या गवाह को बुलाना या वापस बुलाना वास्तव में मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है, यह ध्यान में रखते हुए कि निष्पक्ष विचारण - जिसमें अभियुक्त, पीड़ित और समाज के हित शामिल हैं - आपराधिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है और न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी निष्पक्षता किसी भी तरह से बाधित या खतरे में न पड़े।

19. राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव: (2016) 2 एससीसी 402 में यह माना गया है कि: -

"निश्चित रूप से, यदि न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक हो तो वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसे विचार पर नहीं जैसा कि वर्तमान मामले में अपनाया गया है। मात्र यह टिप्पणी कि 'निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए वापस बुलाना आवश्यक था, पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह दिखाने के लिए ठोस कारण न हों कि वापस बुलाए बिना निष्पक्ष विचारण कैसे प्रभावित हुआ। वापस बुलाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है और न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप से न्याय की विफलता को रोकने के लिए किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। जबकि पक्षकार को अपनी सद्भावी त्रुटि सुधारने की अनुमति दी जा सकती है और वह आगे के अवसर का हकदार हो सकता है, भले ही ऐसा अवसर विपक्षी पक्ष की ओर से किसी गलती के बिना मांगा गया हो, न्याय को आगे बढ़ाने के लिए वापस बुलाने की याचिका सद्भावी होनी चाहिए और इसे गवाहों को होने वाली अकारण कठिनाई और विचारण में अकारण देरी सहित अन्य प्रासंगिक विचारों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए। इन विचारों का ध्यान में रखते हुए, पहले से परीक्षित गवाहों को वापस बुलाने का कोई औचित्य सिद्ध करने वाला आधार नहीं है।"

20. रतनलाल बनाम प्रहलाद जाट, (2017) 9 एससीसी 340 में यह माना गया था कि:-

"17. न्यायालय को सत्य का पता लगाने और न्यायोचित निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए, धारा 311 के हितकारी प्रावधान अधिनियमित किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी न्यायालय जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है या उपस्थित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है, भले ही उसे गवाह के रूप में न बुलाया गया हो, या पहले से परीक्षित किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है या उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, जिनसे विवादित मामले पर प्रकाश डालने की अपेक्षा की जाती है। संपूर्ण प्रावधान का उद्देश्य न केवल अभियुक्त और अभियोजन के दृष्टिकोण से बल्कि एक व्यवस्थित समाज के दृष्टिकोण से भी न्याय करना है। यह शक्ति केवल ठोस और वैध कारणों के लिए ही प्रयोग की जानी चाहिए और इसका प्रयोग



सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। वापस बुलाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है और न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। इसलिए, इस शक्ति का प्रयोग करने के कारणों को आदेश में स्पष्ट किया जाना चाहिए।"

21. मिश्रीलाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2005) 10 एससीसी 701 के मामले में, लगभग समान तथ्यों वाले मामले पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"हमारी राय में, सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से कानून के अनुसार नहीं थी। एक बार जब गवाह की मुख्य परीक्षा और पूर्ण जिरह हो गई, तो ऐसे गवाह को उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष पहले दिए गए साक्ष्य को नकारने के लिए वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए था और न ही उसकी पुनः परीक्षा की जानी चाहिए थी, भले ही उस गवाह ने बाद में किसी अन्य न्यायालय या मंच के समक्ष असंगत बयान दिया हो। एक गवाह का सामना केवल उसके द्वारा दिए गए पिछले बयान से ही कराया जा सकता है। दिनांक 6.2.1991 को पीडब्लू-2 मोकम सिंह की परीक्षा के समय, ऐसा कोई पिछला बयान नहीं था और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसका सामना पहले दिए गए किसी बयान से नहीं कराया। इस गवाह ने बाहरी कारणों से किशोर न्यायालय के समक्ष कुछ अन्य बयान दिया होगा और उसे बाद के चरण में शपथ पर पहले दिए गए साक्ष्य को पूरी तरह से मिटाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए था। न्यायालयों को प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा और किसी गवाह को केवल इस स्पष्टीकरण पर न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देने की कानूनी कार्यवाही से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने इसे पुलिस के दबाव या किसी अन्य कारण से दिया था। जब भी गवाह न्यायालय में झूठ बोलता है, और यह संतोषजनक ढंग से सिद्ध हो जाता है, तो न्यायालय को ऐसे गवाहों के विरुद्ध गंभीर कार्यवाही करनी चाहिए।"

22. याकूब इस्माइलभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य-एआईआर 2004 एससी 4209 के मामले में, पैरा 40 और 41 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"40. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गवाह ने बाद में एक हलफनामा दायर किया जिसमें उसने इस तथ्य की शपथ ली कि उसने पीडब्लू-1 के रूप में न्यायालय के समक्ष जो भी गवाही दी थी वह सत्य नहीं थी और ऐसा पुलिस के कहने पर किया गया था।

41. हलफनामे के कथनों को उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। एक बार जब गवाह की अभियोजन गवाह के रूप में परीक्षा हो जाती है, तो उसे शपथ पर न्यायालय में दी गई गवाही से मुकरकर झूठी गवाही देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पीडब्लू-1 के रूप में साक्ष्य देने और बाद में न्यायालय में हलफनामा दायर करने के बीच की अवधि के दौरान वह एक मादक द्रव्य के मामले में जेल में था और अभियुक्त व्यक्ति भी वहाँ उसके साथ ही बंद थे।"

23. निसार खान उर्फ गुड्डू एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य (2006) 9 एससीसी 386 के मामले में, जहाँ अभियुक्त की ओर से सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया गया



था और गवाह को वापस बुलाया गया था। इस तथ्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"हमारा विचार है कि कानून का उचित ज्ञान रखने वाला कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति, चश्मदीद गवाहों को एक वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद, वह भी तब जब गवाहों का परीक्षण, जिरह और उन्हें उन्मोचित कर दिया गया हो, वापस बुलाने के लिए अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन की अनुमति नहीं देगा।"

24. यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि पाँक्सो अधिनियम एक विशेष विधान है, जिसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के हर चरण में बच्चे के हितों की रक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पाँक्सो अधिनियम की धारा 33 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों का प्रावधान करती है और इस प्रकार है:

"33. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ- (1) कोई विशेष न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान, अभियुक्त को विचारण के लिए उसे सुपुर्द किए बिना भी, ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, जो उस अपराध का गठन करते हैं, अथवा ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है।

(2) विशेष लोक अभियोजक, या जैसा भी मामला हो, अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाला अधिवक्ता, बच्चे की मुख्य परीक्षा, जिरह या पुनः परीक्षा दर्ज करते समय, बच्चे से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को सूचित करेगा, जो बदले में उन प्रश्नों को बच्चे से पूछेगा।

(3) विशेष न्यायालय, यदि आवश्यक समझे, तो विचारण के दौरान बच्चे के लिए बार-बार अंतराल की अनुमति दे सकता है।

(4) विशेष न्यायालय परिवार के किसी सदस्य, अभिभावक, मित्र या रिश्तेदार, जिसमें बच्चे का विश्वास या भरोसा हो, को न्यायालय में उपस्थित रहने की अनुमति देकर बच्चों के अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को न्यायालय में गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए।

(6) विशेष न्यायालय बच्चे से आक्रामक पूछताछ या चरित्र हनन की अनुमति नहीं देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विचारण के दौरान हर समय बच्चे की गरिमा बनी रहे।

(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जांच या विचारण के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान उजागर न हो..."

25. अधिनियम की धारा 33(5) के परिशीलन से दर्शित होता है कि विशेष न्यायालय पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह सुनिश्चित करे कि बच्चे को न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए। इस प्रावधान के पीछे विधायी मंशा स्पष्ट है। यह सुनिश्चित करना है कि जिस बच्चे ने यौन हमले का दर्दनाक अनुभव सहा है, उसे उसी घटना के बारे में गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए।"



8. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस मुद्दे पर स्थापित कानून पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश दिनांक 26.11.2025 में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं पाता है और आवेदक के दिनांक 31.05.2025 के आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से ठीक ही खारिज किया गया था।
9. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन में कोई मेरिट नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।
10. निबंधक (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा सबसे तेज़ माध्यम से इस आदेश को विचारण न्यायालय को सूचित करें।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

20 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"